केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50)

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13/2015– 56

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित जिला पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक – 15.11.16

विषयः–**वित्तीय वर्ष–2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹2,00,00,000/–(दो करोड़ रू0)** मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–08 दिनांक–29.04.2016 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000/–(पांच करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹10,00,00,000/– (दस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। जिसके आलोक में जिलों से मांग के अनुसार विभागीय पत्रांक–17 दिनांक–06.06.2016 एवं विभागीय पत्रांक–47 दिनांक–26.09.2016 के द्वारा केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹10,00,00,000/– (दस करोड़ रू0) मात्र की राशि आवंटित की गई है। इसी क्रम में बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय पत्रांक–55 दिनांक–08.11.2016 द्वारा केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹2,00,00,000/–(दो करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार जिलो से अतिरिक्त राशि की मांग के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000/–(एक करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹2,00,00,000/–(दो करोड़ रू0) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

2– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

3– वे अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 एवं समय–समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित अधिनियम एवं नियम तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1 {नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कर, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान करेंगें एवं पीडित/पीडिता को (i) यात्रा भत्ता, (ii) दैनिक भत्ता, (iii) जागरूकता, (iv) प्रचार–प्रसार, (v) वैधिक सहायता, (vi) सहायक राहत अनुदान–पुनर्वास, इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

4– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

5– केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0218–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3302–मुआवजा विपत्र कोड सं0–P2225012770218" तथा राज्यांश के लिए मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष– "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0318–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3302–मुआवजा, विपत्र कोड सं0–P2225012770318" से विकलनीय है।

6– इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–03–2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

8– आवंटित राशि के लिए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2016–17 में बजट प्रावधान एवं योजना उद्व्यय उपलब्ध है।

9– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10– कृप्या पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

14.11.16

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 56 पटना, दिनांक– 15.11.16

प्रतिलिपि : 1–वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी संबंधित उप विकास आयुक्त / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण / अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4– प्रशाखा पदा0–4,अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.11.16

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 56 पटना, दिनांक– 15.11.16

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.11.16

सरकार के सचिव।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

विवरणी–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम –1955 के अधीन अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

(आवंटित राशि का व्यय मुख्य रूप से (i) हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि। (ii) मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को पेंशन भुगतान (iii) यात्रा भत्ता, (iv) दैनिक भत्ता, (v) जागरूकता, (vi) प्रचार–प्रसार, (vii) वैधिक सहायता, (viii) सहायक राहत अनुदान–पुनर्वास, इत्यादि पर किया जायेगा।)

(राशि रू0 लाख में)

क्र0	जिला का नाम	आवंटित राशि		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल योग
1	2	3	4	5
2	नालंदा	10.00	10.00	***20.00***
3	औरंगाबाद	25.00	25.00	***50.00***
4	सीतामढी	20.00	20.00	***40.00***
5	मुजफ्फरपुर	20.00	20.00	***40.00***
6	भागलपुर	15.00	15.00	***30.00***
7	पूर्वी चम्पारण	5.00	5.00	***10.00***
8	प0 चम्पारण	5.00	5.00	***10.00***
	कुल योग	100.00	100.00	200.00

रू0 दो करोड मात्र

पत्रांक 56 दिनांक 15.11.16 का अनुलग्नक ।

Atrocity allotment 2016-17

सरकार के सचिव ।